न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 68/2016 – निगरानी

1. महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र भंवरलाल शर्मा निवासी शंभूगढ़ तहसील आसीन्द

बनाम

1. तेजू उर्फ तेजमल पुत्र बालूराम नायक निवासी नई आबादी, शंभूगढ़ तहसील आसीन्द
2. ग्राम पंचायत शंभूगढ़ जरिये सचिव ग्राम पंचायत शंभूगढ तहसील आसीन्द

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत शंभूगढ दिनांक 26.05.2014

उपस्थित –

1. श्री रामस्परूप जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री संजय सेन, राकेश जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.07.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार के मालिकाना हक अधिकार एवं आधिपत्य का एक आवासीय पुश्तैनी भूखण्ड ग्राम शंभूगढ़ तहसील आसीन्द में स्थित हैं जिसकी कुल नपती 42 फीट बाई 95 फीट है। उक्त आवासीय भूखण्ड का विगत 50 वर्षों से अधिक समय से निगराकार एवं उसके पूर्वजों का हक एवं कब्जा चला आ रहा है। गैर निगराकार सं. 02 ने उक्त भूखण्ड में से 42 फीट बाई 21 फीट भूमि का पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पटटा गैर निगराकार सं. 01 के हक में जारी किया गया जो पटटा सं. 50 मिसल सं. 373 पर दर्ज हैं। गैर निगराकार सं. 02 ने राजस्थान पंचायत राज नियम के नियम 142 से 158 के प्रावधानों की अनुपालना नही की गयी है। गैर निगराकार सं. 01 लंबे समय से ही ग्राम शंभूगढ में निवासरत हैं और निगराकार के भूखण्ड से उसका कोई लेना देना नहीं हैं। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 02 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में दिनांक 26.05.2014 को जारीशुदा पटटा सं. 50 मिसल सं. 373 फर्जी एवं बनावटी होने से निरस्त की जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 17.10.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार सं. 01 की ओर से जवाब पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत शम्भूगढ से रिकार्ड प्राप्त हुआ।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की। जिसमें बताया गया कि निगराकार के मालिकाना हक अधिकार एवं आधिपत्य का एक आवासीय पुश्तैनी भूखण्ड ग्राम शंभूगढ़ तहसील आसीन्द में स्थित हैं जिसकी कुल नपती 42 फीट बाई 95 फीट है। उक्त आवासीय भूखण्ड का विगत 50 वर्षों से अधिक समय से निगराकार एवं उसके पूर्वजों का हक एवं कब्जा चला आ रहा है। गैर निगराकार सं. 02 ने उक्त भूखण्ड में से 42 फीट बाई 21 फीट भूमि का पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पटटा गैर निगराकार सं. 01 के हक में जारी किया गया जो पटटा

सं. 50 मिसल सं. 373 पर दर्ज हैं। गैर निगराकार सं. 02 ने राजस्थान पंचायत राज नियम के नियम धारा 142 से 158 के प्रावधानों की अनुपालना नही की गयी है। गैर निगराकार सं. 01 अपने पूर्वजों के समय से ही ग्राम शंभूगढ में निवासरत हैं और निगराकार के भूखण्ड से उसका कोई लेना देना नहीं हैं। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा निगराकार के पक्ष में उसके आवासीय पुश्तैनी भूखण्ड के टुकड़े करते हुए निगराकार के पक्ष में 21 गुणा 42 फीट का पटटा बिना किसी अधिकार के पटटे जारी किये है जो निरस्त होने योग्य हैं। विवादग्रस्त पटटे में मिशल सं. 373 व 1/95–96 तारीख दायर 21.12.12 तारीख फैसल 22.1.13 एवं 1.1.1996 हस्तलिखित हैं जिसमें पटटा सं. 49 कम्प्यूटर से अंकित हैं लेकिन गैर निगराकार सं. 02 द्वारा पत्रावली सं. 1/95–96 का कोई रिकार्ड न्यायालय में पेश नही किया गया। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के हक में जारी पटटे में जो पड़ौस अंकित किये गये हैं उनमें दक्षिण पड़ौस एवं पश्चिम पड़ौस में काट छांट की गयी है जिससे स्पष्ट हैं कि उक्त पटटा फर्जी तैयार किया गया हैं जो निरस्त होने योग्य हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 157 के अनुसार 50 वर्षों से पूर्व बने हुए मकानों के लिए पुराने गृहों के विनियमितिकरण के पटटे जारी किये जा सकते हैं लेकिन गैर निगराकार सं. 02 की मौका रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त भूखण्ड का कोई पुख्ता निर्माण नही पाया गया है तथा पुराने गृह को ध्वस्त कर नया निर्माण किया जाता हैं तो पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार स्वीकृति आवश्यक हैं। लेकिन ग्राम पंचायत की पत्रावली में किसी प्रकार की स्वीकृति का उल्लेख नहीं हैं। इससे स्पष्ट हैं कि बिना विधिक प्रकिया अपनाये नियम विरूद्व पटटा जारी किया गया हैं जो निरस्त होने योग्य हैं। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 02 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारीशुदा पटटा सं. 50 मिसल सं. 373 को निरस्त किया जावे।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत तथाकथित पटटे अनुसार निगराकार की 21 बाई 42 फीट की जायदाद है जिनके पूर्व में रास्ता, पश्चिम – पड़त, उत्तर – ज्वारा बलाई, दक्षिण में – राकेश शर्मा हैं। उक्त जायदाद के पश्चिम में गैर निगराकार सं. 01 के स्वामित्व व आधिपत्य की जायदाद स्थित हैं जिसका पटटा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् तरीके से जारी किया है। जिस पर गैर निगराकार सं. 01 अपने पीढी दर पीढी से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। निगराकार ने अपने भूखण्ड की नपती गलत दर्शायी है, निगराकार की 21 बाई 45 फीट की जायदाद ही अवस्थित हैं, जिस पर वह काबिज है। उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण निगराकार द्वारा नही किया गया हैं न ही कोई चारदीवार का निर्माण कर रखा हैं। गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में गैर निगराकार सं. 02 द्वारा जारी पटटा पंचायती राज अधिनियम क नियमों एवं प्रावधानों की पूर्णतः पालना करके जारी किया गया हैं। निगराकार के द्वारा उक्त तथाकथित पटटे के आधार पर एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन गैर निगराकार सं. 01 व तेजमल नायक के विरूद्व माननीय सिविल न्यायाधीश आसीन्द के न्यायालय में प्रस्तुत किया। सिविल न्यायालय में वादग्रस्त भूखण्ड पर गैर निगराकार सं. 01 का स्वत्व व आधिपत्य माना हैं। निगराकार को उक्त निगरानी प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डी नहीं हैं। निगराकार ने यह निगरानी बैरून मियाद प्रस्तुत की है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी आधारहीन होने एवं कानूनन पोषणीय न होने से खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे पाया गया कि ग्राम पंचायत शम्भूगढ़ की पत्रावली सं. 01 दिनांक 15.04.1995 अनुसार अन्दर हल्का आबादी में पुराने प्लाट बाबत् दिनांक 20.12.2010 को पुश्तैनी पटटे जारी करने का प्रस्ताव पारित किया। ग्रामसभा में दिनांक 10.03.2011 को निर्णय लिया कि पत्रावली का अनुमोदन पंचायत समिति से प्राप्त होने के पश्चात् नियम 157(क) के तहत पटटे जारी किये जाये। 95 व्यक्तियों के नाम पटटे जारी करने का निर्णय लिया हैं, जिसमें कमांक 53 पर महेन्द्र पुत्र भंवर शर्मा, कमांक 64 पर मुरलीधर पुत्र बंशीदास साधु एवं कमांक 65 पर तेजू पुत्र बालूराम नायक पर पटटे जारी करने का निर्णय अंकित हैं।

विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द ने मिसल नं. 1/15.4.95 ग्राम पंचायत शम्भूगढ के पत्र कमांक 2041 दिनांक 19.12.2011 से अनुमोदन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत शम्भूगढ ने नजरी नक्शा भी प्रमाणित किया हैं।

सरपंच ग्राम पंचायत शम्भूगढ ने पटटा सं. 49 दिनांक 26.05.2014 को मुरलीधर पुत्र बंशीदास वैष्णव निवासी जयनगर के नाम क्षैत्रफल 42 बाई 21 फीट कुल 882 वर्गफीट का जारी किया। तेजू उर्फ तेजमल पुत्र बालूराम नायक निवासी नई आबादी शम्भूगढ के नाम 42 बाई 21 फीट कुल 882 वर्गफीट क्षैत्रफल का पटटा जारी किया गया। इसी प्रकार निगराकार महेन्द्र पुत्र भंवर सेवक शर्मा के नाम 45 बाई 21 फीट कुल 945 वर्गफीट का पटटा सं. 40 जारी किया गया। जबकि निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित किया कि ग्राम शंभूगढ़ तहसील आसीन्द में कुल नपती 42 फीट बाई 95 फीट क्षैत्रफल 3990 वर्गफीट का पुश्तैनी भूखण्ड पर मालिकाना हक अधिकार हैं। परन्तु कब्जे बाबत् कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराये है एवं ग्राम पंचायत के पास पंचायत राज नियम 157 (क) के तहत 3990 वर्गफीट क्षैत्रफल के भू भाग का पटटा जारी करने के अधिकार नही हैं। निगराकार द्वारा विपक्षी के विरूद्व सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 जा. दी. बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण सं. 32/17 मु.दी. दिनांक 07.05.2018 को न्यायालय द्वारा विपक्षी के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए विपक्षी को उसके भूखण्ड का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने के आदेश प्रदान किये गये। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है।अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत शंभूगढ़ दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत शंभूगढ तहसील आसीन्द को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा